अनुदान संख्या 101 - शहरी विकास विभाग
GRANT No. 101 – DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged–*				
मूल	*Original*	*38,48,00*			
			44,23,00	*44,60,55*	*+ 37,55*
पूरक	*Supplementary*	*5,75,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	1321,72,00			
			1321,73,00	1089,46,08	-232,26,92
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				218,61,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged–*		*22,40,00*	*21,19,81*	*-1,20,19*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	6346,82,00			
			6346,84,00	5419,66,32	-927,17,68
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				926,23,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, यद्यपि मार्च, 2013 में *₹575.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त किया गया था, व्यय स्वीकृत *विनियोग* से *₹37.55 लाख* (वास्तविक अधिक व्यय ₹37,54,812 था) अधिक हो गया। **इस अधिक व्यय को संसद द्वारा अनुदानों की अधिक मांगों को स्वीकृत कराकर नियमित करने की आवश्यकता है।**

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुआ/हुईं :-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, although supplementary *appropriation* of *₹575.00 lakhs* was obtained in March, 2013, the expenditure exceeded the sanctioned *appropriation* by *₹37.55 lakhs* (actual excess was *₹37,54,812*). **The excess requires regularization by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament**.

Excess/savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “2216” आवास	Major Head “2216” Housing				
मू.	*O.*	*3848.00*	*4423.00*	*4460.55*	*+37.55*
पु.	*S.*	*575.00*			

(I) अधिक व्यय *(₹65.00 लाख*) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए हुआ जैसाकि “अन्य आवास - रख रखाव और मरम्मत - अन्य रख रखाव व्यय” के अंतर्गत *₹575.00* लाख का पूरक *विनियोग* प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, *₹77.72 लाख* था।

(I) The excess *(₹65.00 lakhs)* occurred for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary *appropriation* of *₹575.00 lakhs* under “Other Housing – Maintenance and Repairs – Other Maintenance Expenditure”. Actual excess, however, was *₹77.72 lakhs.*

(II) “अन्य आवास - अन्य व्यय - पट्टा प्रभार” के अंतर्गत *₹18.87 लाख* का अधिक व्यय (*₹395.00 लाख* के पूरक *विनियोग* सहित *₹1285.00 लाख* के कुल स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) पानी के बिलों की कीमतों में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(II) Under “Other Housing – Other Expenditure – Lease Charges” – excess of *₹18.87 lakhs* (against the total sanctioned *appropriation* of *₹1285.00 lakhs* including supplementary *appropriation* of *₹395.00 lakhs*) was due to increase in charges of water bills.

2. उपर्युक्त अधिक व्यय निम्नानुसार बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया:-

2. The above excess was partly offset by saving as under:-

(I) *₹2.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *₹2.00 lakhs* remained wholly unutilized under one head.

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat-General Services				
मू.	O.	4285.00	4444.00	4429.65	-14.35
पु.	R.	159.00			
मुख्य शीर्ष "2215"	Major Head "2215"				
जल आपूर्ति और सफाई	Water Supply and Sanitation				
पु.	R.	244.59	244.59	244.59	..
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"				
आवास	Housing				
मू.	O.	68602.00	68431.40	67460.81	-970.59
पु.	R.	-170.60			
मुख्य शीर्ष "2217"	Major Head "2217"				
शहरी विकास	Urban Development				
मू.	O.	38435.00	25656.31	25280.18	-376.13
पु.	R.	-12778.69			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	16000.00			
पू.	S.	1.00	1.00	..	-1.00
पु.	R.	-16000.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	4850.00	11534.70	11530.85	-3.85
पु.	R.	6684.70			

(I) ₹17502.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2012 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹17501.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत

(I) Provision of ₹17502.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2012) remained wholly unutilised under eight heads; of these ₹17501.00 lakhs

लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष “2217” -

(क) “अन्य शहरी विकास स्कीमें - अन्य व्यय - मैनस्ट्रिमिंग सर्विस लेवल बेंचमार्किंग को सहायता संबंधी स्कीम” - ₹1000.00 लाख स्कीम शुरू न किए जाने के कारण थे।

(ख) “सामान्य - अनुसंधान - देशी प्रौद्योगिकी और आईपीटी और एनएमटी सहित प्रायोगिक परियोजनाओं के नवप्रवर्तन, अनुसंधान और विकास संबंधी स्कीम” - ₹500.00 लाख स्कीम को योजना आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष “2552” - “जलापूर्ति - शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम” -

(क) “जलापूर्ति का संवर्धन” - ₹1500.00 लाख;

(ख) “पूर्वोत्तर राज्यों में मलजल प्रणाली का विकास/सुधार” - ₹601.00 लाख (₹1.00 के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) थे;

(ग) “ठोस अपशिष्ट निस्तारण परियोजना” - ₹400.00 लाख;

(घ) “शहरी अवसंरचना विकास परियोजना” - ₹9000.00 लाख; और

(ङ) “सामाजिक/सामुदायिक विकास परियोजना” - ₹4500.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त पॉच शीर्षो के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head “2217” -

(a) “Other Urban Development Schemes – Other Expenditure - Scheme for Support to Mainstreaming Service Level Benchmarking” –₹1000.00 lakhs - due to non-taking off of the scheme.

(b) “General – Research - Scheme for Innovations, Research and Development of Indigenous Technology and Pilot Projects including IPT and NMT” - ₹500.00 lakhs - due to non-approval of the scheme by the Planning Commission.

(B) Major Head “2552” – Water Supply – Urban Water Supply Programme” –

(a) “Aug mentation of Water Supply”- ₹1500.00 lakhs;

(b) “Development/Improvement of Sewerage System in North Eastern States”- ₹601.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(c) “Solid Waste Disposal Project” - ₹400.00 lakhs;

(d) “Urban Infrastructure Development Project” - ₹9000.00 lakhs; and

(e) “Social/Community Development Project”- ₹4500.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष “2216” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “सामान्य पूल आवास - अन्य व्यय” -

(क) “साज-सामान” - ₹192.75 लाख की बचत (₹1186.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वीआईपी बंगलों की सजावट के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) “संपदा निदेशालय” - ₹475.77 लाख की बचत (₹5002.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और स्थानीय निकायों से बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) “निर्माण” - ₹130.29 लाख की बचत (₹2358.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “अन्य आवास”-

(क) “अन्य व्यय - निर्माण” - ₹109.28 लाख की बचत (₹652.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यकलापों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुईं।

(ख) “रख-रखाव और मरम्मत - कार्य प्रभारित स्थापना” - ₹593.06 लाख की बचत (₹4491.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, चिकित्सा दावों और विदेश यात्रा व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head “2216” – savings occurred under the following heads:-

(A) “General Pool Accommodation – Other Expenditure” -

(a) “Furnishings” - saving of ₹192.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1186.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards furnishing of VIP Bunglows.

(b) “Directorate of Estates” - saving of ₹475.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5002.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of bills from local bodies.

(c) “Construction” – saving of ₹130.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2358.00 lakhs); and

(B) “Other Housing” –

(a) “Other Expenditure - Construction” - saving of ₹109.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹652.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds towards various construction activities.

(b) “Maintenance and Repairs – Work Charged Establishment” - saving of ₹593.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4491.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salary, medical claims and foreign travel expenses.

(III) मुख्य शीर्ष "2217" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "अन्य शहरी विकास स्कीमें" -

(क) "स्थानीय निकायों/निगम, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर विकास बोर्डों आदि को सहायता" -

(i) "जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन" - ₹645.48 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का कम संख्या में आयोजन किए जाने और पेशेवर सेवाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ii) "राष्ट्रीय धारणीय आवास मिशन" - ₹498.15 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को योजना आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "अन्य व्यय" -

(i) "शहरी सूचना प्रणाली" - ₹1690.59 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों की वजह से बिलों का निपटान न किए जाने के कारण हुई।

(ii) "सेटेलाइट/क्वांटर मैगनेट शहरों में शहरी अवसंरचना विकास" - ₹4000.00 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "अन्य व्यय" -

(क) "निदेशन और प्रशासन" -

(III) Under Major Head "2217" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Other Urban Development Schemes"-

(a) "Assistance to Local Bodies/Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc." –

(i) "Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission" - saving of ₹645.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to holding of less number of seminars/workshops and requirement of less funds towards professional services.

(ii) "National Mission on Sustainable Habitat (NMSH)" - saving of ₹498.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to non-approval of the scheme by the Planning Commission.

(b) "Other Expenditure" -

(i) "Urban Information System" - saving of ₹1690.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to non-settlement of bills owing to administrative reasons.

(ii) "Urban Infrastructure Development in Satellite/Counter Magnet Cities" - saving of ₹4000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs);

(B) "General" –

(a) "Direction and Administration" -

(i) "शहरी यातायात योजना और शहरी यातायात में क्षमता निर्माण (घरेलू स्रोत)" - ₹519.17 लाख की बचत (₹1925.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ii) "शहरी यातायात में क्षमता निर्माण (बाह्य सहायता घटक)" - ₹456.69 लाख की बचत (₹543.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुईं।

(ख) "प्रशिक्षण - निगम कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र" - ₹148.00 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुदानग्राही निकायों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) "अनुसंधान - शहरी और क्षेत्रीय योजना में अनुसंधान" - ₹2717.13 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति होने और राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घ) "स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर विकास बोर्डों आदि को सहायता" -

(i) "विश्व बैंक - शहरी विकास के लिए क्षमता निर्माण" - ₹6358.59 लाख की बचत (₹6517.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ii) "कार्यान्वयन सहायता - कार्यक्रम प्रबंधन इकाई" - ₹122.39 लाख की बचत (₹283.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(i) "Urban Transport Planning and Capacity Building in Urban Transport (Domestic Sources)" - saving of ₹519.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1925.00 lakhs); and

(ii) "Capacity Building in Urban Transport (External Aid Component)" - saving of ₹456.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹543.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less demand from the State/Union Territory Governments/Implementing agencies.

(b) "Training – Training Centre for Municipal Employees" – saving of ₹148.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to receipt of less demand from the grantee bodies.

(c) "Research - Research in Urban and Regional Planning"- saving of ₹2717.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to slow progress in implementation of the projects and non-receipt of utilization certificates from the State Governments.

(d) "Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc." –

(i) "World Bank – Capacity Building for Urban Development" - saving of ₹6358.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6517.00 lakhs); and

(ii) "Implementation Support – Programme Management Unit" - saving of ₹122.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹283.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रक्रियाओं और स्कीम के कार्यान्वयन के दिशानिर्देशों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of procedures and guidelines for implementation of the scheme.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अन्य शहरी विकास स्कीमें - अन्य अनुदान - पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास परियोजना" - ₹1934.85 लाख की बचत (₹4850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Other Urban Development Schemes – Other Grants – North Eastern Region Urban Development Project (NERUDP)" - saving of ₹1934.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4850.00 lakhs) was due to receipt of less demand from the implementing agencies.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹61.37 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of ₹61.37 lakhs occurred constituting 17 percent of the sanctioned provision.

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹9677.10 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2012 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

4.(I) The above savings were partly (₹9677.10 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2012 under the following major heads :-

(का) मुख्य शीर्ष "2217" - "अन्य शहरी विकास स्कीमें - अन्य व्यय - शहरी अवसंरचना विकास परियोजना" - ₹4863.09 लाख।

(A) Major Head "2217" – "Other Urban Development Schemes – Other Expenditure – Urban Infrastructure Development Project" - ₹4863.09 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -

(क) "मलजल और सफाई - सफाई सेवाएं - पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों में मलजल प्रणाली का विकास/सुधार" - ₹418.00 लाख।

(ख) "अन्य शहरी विकास स्कीमें - स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता - पूर्वोत्तर राज्यों में शहरी अवसंरचना विकास परियोजनाएं " -₹4396.01 लाख।

(B) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(a) "Sewerage and Sanitation – Sanitation Services – Development/Improvement of Sewerage System in North Eastern States" - ₹418.00 lakhs.

(b) "Other Urban Development Schemes – Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc. – Urban Infrastructure Development Projects in North Eastern States" - ₹4396.01 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - शहरी विकास" - ₹144.65 लाख का अधिक व्यय (₹4285.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, चिकित्सा दावों और विदेश यात्रा व्ययों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2216" - "अन्य आवास - रख-रखाव और मरम्मत - अन्य रख-रखाव व्यय" - ₹324.04 लाख का अधिक व्यय (₹4938.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों की प्रतिबद्ध देयताओं का निस्तारण करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "2215" - "जलापूर्ति - शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम - पूर्वोत्तर राज्यों में जलापूर्ति का संवर्धन" - ₹244.59 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(घा) मुख्य शीर्ष "2217" - "अन्य शहरी विकास स्कीमें - अन्य व्यय" -

(क) "शहरी अवसंरचना विकास परियोजना" - ₹4863.09 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "सामाजिक/सामुदायिक विकास परियोजना" - ₹831.62 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ड) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -

(क) "जलापूर्ति - शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम - पूर्वोत्तर राज्यों में जलापूर्ति कार्यक्रम का संवर्धन" - ₹1417.79 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2052" – "Secretariat – Urban Development" – excess of ₹144.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4285.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salary, medical claims and foreign travel expenses.

(B) Major Head "2216" – "Other Housing – Maintenance and Repairs – Other Maintenance Expenditure" - excess of ₹324.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4938.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to discharge the committed liabilities towards executing agencies.

(C) Major Head "2215" – "Water Supply- Urban Water Supply Programme –Augmentation of Water Supply in North Eastern States" - excess of ₹244.59 lakhs (against nil provision);

(D) Major Head "2217" – "Other Urban Development Schemes – Other Expenditure" –

(a) "Urban Infrastructure Development Project" - excess of ₹4863.09 lakhs (against nil provision);

(b) "Social/Community Development Project" - excess of ₹831.62 lakhs (against nil provision);

(E) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(a) "Water Supply – Urban Water Supply Programme – Augmentation of Water Supply Programme in North Eastern States" – excess of ₹1417.79 lakhs (against nil provision); and

(ख) "समाज कल्याण - अन्य कार्यक्रम - पूर्वोत्तर राज्यों में सामाजिक और सामुदायिक विकास परियोजनाएं" - ₹2383.90 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(b) "Social Welfare - Other Programme – Social and Community Development Projects in North Eastern States" - excess of ₹2383.90 lakhs (against nil provision).

अधिक व्यय उपर्युक्त पॉच शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above five heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, एक शीर्ष के अंतर्गत *₹79.75 लाख* की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 80 प्रतिशत थी।

5. In the *charged* portion of the capital section of the grant, saving of *₹79.75 lakhs* occurred under one head constituting 80 percent of the sanctioned *appropriation*.

6. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

6. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	48825.00			
पू.	S.	1.00	41095.00	41001.32	-93.68
पु.	R.	-7731.00			
मुख्य शीर्ष "4217" शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4217" Capital Outlay on Urban Development				
मू.	O.	322557.00	243172.00	243172.00	..
पु.	R.	-79385.00			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "6217"	Major Head "6217"					
शहरी विकास के लिए कर्ज	Loans for Urban Development					
मू.	O.	263300.00				
पू.	S.	1.00		257794.00	257793.00	-1.00
पु.	R.	-5507.00				

(I) ₹100.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹100.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी आवासीय भवन" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings" - savings occurred under the following heads :-

(का) "सामान्य पूल आवास - शहरी विकास निर्माण" - ₹7481.61 लाख की बचत (₹34900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "General Pool Accommodation – Urban Development Construction"- saving of ₹7481.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34900.00 lakhs);

(खा) "अन्य आवास" -

(B) "Other Housing" –

(क) "वित्त (राजस्व)" - ₹1364.51 लाख की बचत (₹7504.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Finance (Revenue)" - saving of ₹1364.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7504.00 lakhs); and

(ख) "रोजगार" - ₹319.27 लाख की बचत (₹375.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "Employment" - saving of ₹319.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹375.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत चालू निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to slow progress of ongoing works.

(III) मुख्य शीर्ष "4217" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "4217" – savings occurred under the following heads :-

(का) "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - अन्य व्यय - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड निधि" - ₹500.00 लाख की बचत

(A) "National Capital Region - Other Expenditure – National Capital Regional Planning

(₹6000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसी से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

Board Fund"- saving of ₹500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs) was due to receipt of less demand from the implementing agencies.

(खा) "अन्य शहरी विकास स्कीमें - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश" -

(B) "Other Urban Development Schemes - Investment in Public Sector and Other Undertakings" -

(क) "दिल्ली मेट्रो रेल निगम" - ₹36257.00 लाख की बचत (₹111257.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Delhi Metro Rail Corporation" – saving of ₹36257.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹111257.00 lakhs); and

(ख) "बंगलौर मास रैपिड ट्रांजिट प्रणाली" - ₹38608.00 लाख की बचत (₹90000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "Bangalore Mass Rapid Transit System" – saving of ₹38608.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹90000.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा मैचिंग शेयर जारी न किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-release of matching share by the State Governments.

(ग) "अन्य मेट्रो परियोजनाएं" - ₹3920.00 लाख की बचत (₹105200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(c) "Other Metro Projects" – saving of ₹3920.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹105200.00 lakhs); and

(IV) मुख्य शीर्ष "6217" - "अन्य शहरी विकास स्कीमें - नगर निगमों को कर्ज" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "6217" - Other Urban Development Schemes – Loans to Municipal Corporation"- savings occurred under the following heads :-

(का) "दिल्ली मेट्रो रेल निगम को जे.बी.आई.सी. (जापान बैंक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) से पास थ्रू सहायता" - ₹16612.00 लाख की बचत (₹74912.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(A) "Pass through assistance to Delhi Metro Rail Corporation from J.B.I.C." – saving of ₹16612.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹74912.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to receipt of less demand from the implementing agencies.

(खा) "गौण ऋण - ब्याज रहित कर्ज" - ₹3980.00 लाख की बचत (₹60300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और

(B) "Sub-ordinate Debt-Interest Free Loan" – saving of ₹3980.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹60300.00 lakhs) was due to non-

कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम मांग प्रस्तावित किए जाने के कारण हुई।

approval of some proposals and less demand projected by the implementing agencies.

7.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹16031.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मार्च, 2013 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

7.(I) The above savings were partly (₹16031.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in March, 2013 under the following major heads:-

(क) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी आवासीय भवन - अन्य भवन - लोकसभा/राज्यसभा" - ₹1348.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1341.42 लाख था।

(A) Major Head "4216" – "Government Residential Buildings - Other Housing – Lok Sabha/ Rajya Sabha" – ₹1348.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1341.42 lakhs.

(ख) मुख्य शीर्ष "6217" - "अन्य शहरी विकास स्कीमें - नगर निगम को कर्ज - अन्य मेट्रो परियोजना को पास थ्रू सहायता" - ₹14683.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹14682.00 लाख था।

(B) Major Head "6217" – "Other Urban Development Schemes – Loans to Municipal Corporation - Pass through Assistance to Other Metro Project" - ₹14683.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹14682.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "6217" - "अन्य शहरी विकास स्कीमें - नगर निगम का कर्ज - पूर्व-पश्चिम कोरिडर परियोजना, कोलकाता को पास थ्रू सहायता" - ₹402.00 लाख का अधिक व्यय (₹13500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से अतिरिक्त मांग प्राप्त होने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "6217" – "Other Urban Development Schemes – Loans to Municipal Corporation - Pass through assistance to East-West Corridor Project, Kolkata" – excess of ₹402.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13500.00 lakhs) was due to receipt of additional demand from the implementing agencies.